



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 347]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2017/माघ 21, 1938

No. 347]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2017/MAGHA 21, 1938

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2017

का.आ. 383(अ).— जबकि, न्यू डवलपमेन्ट बैंक (इसके पश्चात् बैंक कहा जाएगा) की स्थापना के संबंध में बीआरआईसीएस (ब्रिक्स) देशों के बीच में एक अंतर-सरकारी करार में 15 जुलाई, 2014 को फोर्टालेजा में हस्ताक्षरित किया गया;

और जबकि, भारत सरकार द्वारा उक्त अंतर-सरकारी करार को 25 मार्च, 2015 को अनुसमर्थित किया गया;

और जबकि, उक्त अंतर-सरकारी करार के अनुबंध के अध्याय VI के अनुच्छेद 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36 के तहत इस बैंक, उसके प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को विशेषाधिकार एवं उनमुक्तिका प्रावधान है;

और जबकि, केंद्रीय सरकार विचार करती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ (विशेषाधिकार एवं उनमुक्ति) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के तहत प्रदत्त आवश्यक विशेषाधिकार एवं उनमुक्ति इस बैंक, इसके प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को प्रदान करना समीचीन होगा;

अब, अतः संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं उनमुक्ति) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची के अनुच्छेद I की धारा 1, अनुच्छेद II की धारा 2, 3, 4, 5, 6 तथा धारा 7, अनुच्छेद III की धारा 9, अनुच्छेद V की धारा 18 के खंड (क), (ख), (ग), (घ) एवं (ङ) तथा धारा 20, अनुच्छेद VI की धारा 22 के खंड (क), (ख), (ग), (ङ) और (च) तथा धारा 23 के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तन सहित न्यू डवलपमेन्ट बैंक तथा उसके प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों पर लागू होगा।

[फा. सं डी-II/451/16(1)/2017]

संजय वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2017

S.O. 383(E).— Whereas, an inter-governmental agreement between the BRICS countries relating to establishment of the New Development Bank (hereinafter referred to as the Bank) was signed at Fortaleza on 15th July, 2014;

And whereas, the said inter-governmental agreement was ratified by the Government of India on 25th March, 2015;

And whereas, Article 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 and Article 36 of Chapter VI of the Annex to the said inter-governmental agreement provide for privileges and immunities of the Bank, its representatives and officials;

And whereas, the Central Government considers it expedient to extend the necessary privileges and immunities provided under the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947) to the Bank, its representatives and officials;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), the Central Government hereby declares that the provisions of section 1 of Article I, sections 2,3,4,5,6 and section 7 of Article II, section 9 of Article III, clauses (a), (b), (c), (d) and (e) of section 18 and section 20 of Article V and clauses (a), (b), (c), (e) and (f) of section 22 and section 23 of Article VI of the Schedule to the said Act shall apply, *mutatis mutandis*, to the New Development Bank, its representatives and officials.

[F. No. D-II/451/16(1)/2017]

SANJAY VERMA, Jt. Secy.